[2011] 10 एससीआर 799

सुरेंद्र प्रसाद शुक्ला

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य।

(2011 की सिविल अपील संख्या 7548)

सितम्बर 01, 2011

[आर.वी. रवींद्रन और ए. के. पटनायक, जे.जे.]

सर्विस लॉ - बर्खास्तगी - अपीलकर्ता-हेड कांस्टेबल राज्य पुलिस में है - उसके बेटे और दो अन्य को आईपीसी की धारा 392 के तहत कार लूटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया - अपीलकर्ता के खिलाफ कदाचार का आरोप लगाया गया कि उसने अपने बेटे को उसके सरकारी क्वार्टर में ही परवरिश की - लूटी गई कार सरकारी क्वार्टर के सामने यार्ड से बरामद की गयी - अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने अपीलकर्ता को लापरवाही, अनुशासनहीनता और पुलिस कर्मी के अनुचित आचरण के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया। बर्खास्तगी के आदेश को निचली अदालतों द्वारा बरकरार रखा गया - अपील पर, यह माना गया: अपीलकर्ता-कर्मचारी के खिलाफ कोई आरोप नहीं है कि उसने किसी भी तरह से धारा 392/पीसी के तहत अपराध में सहायता की या उसे बढ़ावा दिया या उसे पता था कि उसके बेटे ने कार लूटी है और फिर भी उसने पुलिस को सूचित नहीं किया। - वह लापरवाही का दोषी था, क्योंकि उसने अपने बेटे से उसके सरकारी क्वार्टर के सामने खड़ी कार के बारे में पूछताछ नहीं की थी। - अपीलकर्ता ने 34 वर्षों तक कांस्टेबल/हेड कांस्टेबल के रूप में सरकार की सेवा की, और इतनी लंबी सेवा के लिए उसे पेंशन मिली - सेवा से बर्खास्त करने की सजा ताकि उसे 34 साल की सेवा के लिए पेंशन से वंचित किया जा सके, उसके खिलाफ साबित लापरवाही के लिए चौंकाने वाला अनुपातहीन है -

इस प्रकार, सेवा से बर्खास्तगी की सजा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति में संशोधित किया गया है - दंड संहिता, 1860 -एस 392.

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2011 की सिविल अपील संख्या 7548 2008

झारखंड उच्च न्यायालय रांची के एल.पी.ए. संख्या 176/2008 के दिनांक 9.6.2008 के निर्णय एवं आदेश से

नागेंद्र राय, शांतनु सागर, स्मरहर सिंह, अभिषेक कुमार सिंह, गोपी रमन, पी. अग्वाल, प्रीति आर., टी. महिपाल - अपीलकर्ता

अनिल के झा, छाया कुमारी - प्रतिवादी

न्यायालय का आदेश **ए. के. पटनायक, जे** के द्वारा दिया गया

आदेश

1. अनुमति दी गई।

2. यह झारखंड उच्च न्यायालय के खंडपीठ के एल.पी.ए. संख्या 176/2008 (संक्षेप में 'आक्षेपित आदेश') के दिनांक 09.06.2008 के आदेश के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति के माध्यम से अपील है।

3. तथ्य बहुत संक्षेप में हैं कि अपीलकर्ता को 07.08.1971 को बिहार राज्य पुलिस में कांस्टेबल के रूप में भर्ती किया गया था और बाद में उसे हेड कांस्टेबल (हवलदार) के पद पर पदोन्नत किया गया था। दिनांक 04.07.2004 को मुजफ्फरपुर सदर थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी कि तीन अज्ञात व्यक्तियों ने एक कार छीन ली थी, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 392 (संक्षेप में 'आईपीसी') के तहत मुजफ्फरपुर सदर थाना मामला संख्या 139 ऑफ 2004 के रूप में दर्ज की गई थी। पुलिस ने अपीलकर्ता के कब्जे वाले सरकारी क्वार्टर से 13.07.2004 को चोरी की कार बरामद की और अपीलकर्ता के बेटे, राजू शुक्ला @ राजीव शुक्ला को दो अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार

किया जो कार की चोरी में शामिल थे। अपीलकर्ता को निलंबित कर दिया गया और 20.07.2004 को उस पर लापरवाही, अनुशासनहीनता, पुलिस कर्मी के अनुचित आचरण के आरोप लगाते हुए आरोपों का ज्ञापन दिया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि उसने आरोपी राजू शुक्ला को शरण दी थी। उसे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। अपीलकर्ता ने 26.07.2004 को पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम को अपना जवाब प्रस्तुत किया। जमशेदपुर (संक्षेप में अनुशासनात्मक प्राधिकारी) इंटर प्रसाद बनाम झारखंड राज्य और अन्य। [ए.के. पटनायक, जे.] 12.07.2004 की शाम को वह ड्यूटी के लिए तुलाईलादुगरी टीओपी गए थे और वह पूरी रात उस क्षेत्र में गश्त कर रहे थे और जब वे 13.07.2004 को सुबह करीब 6:15 बजे अपने सरकारी क्वार्टर पर लौटे तो उन्होंने मुजफ्फरपुर सदर थाने की पुलिस को अपने सरकारी क्वार्टर पर देखा, जिन्होंने उनके बेटे को दो अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया था और चोरी की मैटिज़ कार को जब्त कर लिया था। उन्होंने अपने जवाब में यह भी कहा कि उन्हें अपने बेटे से पूछताछ करने का कोई समय नहीं मिला और उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा अपराध में शामिल था। जांच अधिकारी ने फिर जांच की और अपीलकर्ता को आरोपों का दोषी मानते हुए अपनी रिपोर्ट पेश की और जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने यह विचार किया कि परिस्थितियों में यह उचित नहीं है कि अपीलकर्ता पुलिस बल में सेवा करे और उसके खिलाफ बर्खास्तगी का आदेश पारित किया। अपीलकर्ता ने उप महानिरीक्षक, सिंहभूम के समक्ष अपील की, लेकिन अपील खारिज कर दी गई। इसके बाद, अपीलकर्ता ने पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष एक पुनरीक्षण दायर किया, लेकिन इसे भी खारिज कर दिया गया।

4. इसके बाद अपीलकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत झारखंड उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 6728/2006 दायर की, जिसमें सेवा से अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 30.04.2008 के आदेश द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया। व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने एल.पी.ए.

संख्या 176/2008 दायर की और उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने विवादित आदेश द्वारा एल.पी.ए. को खारिज कर दिया। जब 17.10.2008 को विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई हुई, तो इस न्यायालय ने प्रतिवादी को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि बर्खास्तगी की सजा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति में क्यों न बदल दिया जाए। नोटिस के जवाब में प्रतिवादी संख्या 4 ने उपस्थित होकर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया है तथा तर्क दिया है कि अपीलकर्ता लूटी गई मैटिज़ कार रखने तथा अभियुक्तों को अपने घर में पनाह देने का दोषी है तथा उसने इस मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को नहीं दी है तथा अपीलकर्ता के आचरण से पुलिस बल की छवि धूमिल हुई है तथा उसे बर्खास्त करने की सजा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति में नहीं बदला जाना चाहिए।

5. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और हम पाते हैं कि अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोपित कदाचार यह था कि उसने आरोपी राजू शुक्ला को अपने कब्जे वाले सरकारी क्वार्टर में शरण दी थी और चोरी की गई कार सरकारी क्वार्टर के सामने यार्ड से बरामद की गई थी। जांच अधिकारी ने निष्कर्ष दर्ज किया है कि अपीलकर्ता कदाचार का दोषी था। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी के निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया और उनका विचार था कि अपीलकर्ता को अब पुलिस बल में सेवा नहीं देनी चाहिए और उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया और अपीलीय प्राधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी अनुशासनात्मक प्राधिकारी से सहमत हुए। चूंकि अपीलकर्ता एक हेड कांस्टेबल के रूप में काम कर रहा था, इसलिए यह उसका कर्तव्य था कि वह अपने बेटे से उसके कब्जे वाले सरकारी क्वार्टर के सामने रखी कार के बारे में पूछताछ करे और इस कर्तव्य का पालन न करके वह लापरवाही का दोषी था। तथ्य यह है कि अपीलकर्ता का पुत्र, जो धारा 392 आईपीसी के तहत अपराध में आरोपी था, और उसके साथी अपीलकर्ता के कब्जे वाले सरकारी क्वार्टर में पाए गए और तथ्य यह है कि चोरी की गई कार भी उसके सरकारी क्वार्टर के सामने यार्ड से बरामद की गई थी, अपीलकर्ता को लापरवाही का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त थे, जिसने क्षेत्र में पुलिस बल की छवि को प्रभावित

किया और ऐसी लापरवाही के लिए अधिकारियों का यह विचार सही था कि अपीलकर्ता को पुलिस सेवा में नहीं रखा जाना चाहिए।

6. हालांकि हमारे निर्णय के लिए जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या अपीलकर्ता की ऐसी लापरवाही अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा उसे सेवा से बर्खास्त करने के लिए पर्याप्त थी। अपीलकर्ता के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं था कि उसने किसी भी तरह से धारा 392 आईपीसी के तहत अपराध में सहायता की थी या उसे पता था कि उसके बेटे ने कार चुराई है और फिर भी उसने पुलिस को सूचित नहीं किया। जैसा कि हमने माना है, अपीलकर्ता अपने बेटे से उसके कब्जे वाले सरकारी क्वार्टर के सामने रखी कार के बारे में पूछताछ न करने की लापरवाही का दोषी था। अपीलकर्ता ने 07.08.1971 से 28.02.2005 को सेवा से बर्खास्त होने तक एक कांस्टेबल और उसके बाद एक हेड कांस्टेबल के रूप में सरकार की सेवा की थी, यानी 34 साल तक, और इतनी लंबी सेवा के लिए उसने पेंशन अर्जित की थी। हमारी सुविचारित राय में, अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने की सजा, ताकि उसे 34 वर्षों तक दी गई सेवा के लिए पेंशन से वंचित किया जा सके, उसके खिलाफ साबित लापरवाही के लिए चौंकाने वाली अनुपातहीन थी।

7. तदनुसार, हम इस अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं और सेवा से बर्खास्तगी की सज़ा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति में संशोधित करते हैं। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा दायर एल.पी.ए. और रिट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

एन.जे. **अपील आंशिक रूप से अनुमति दी गई।**

<u>यह अनुवाद मधु कुमारी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया है।</u>